राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्रम पंचायत लाखागुडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत लाखागुडा

प्रकरण सं. – 43/2011 प्रा.प्र. **निर्णय दिनांक – 12.06.2015**

अनवान

1. श्री लखमसिंह पिता कुम्पसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री मोहनसिंह मुर्तबना रामसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
2. श्री कानसिंह आत्मज उदयसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
3. श्री सोहनसिंह आत्मज उदयसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
4. श्री लखमसिंह आत्मज गुलाबसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्थाई निषेधाज्ञा

यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम नाबरी के आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 14 विस्वा 05 विस्वांसी किस्म बाडा स्थित है। जो स्वयं की खातेदारी में होकर आधिपत्य उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी उपरोक्त काश्त भूमि का राज्य सरकार को राजस्व दे रहा है। प्रार्थी कुछ समय बाहर जिविका उपार्जन के लिये जाता था। और प्रार्थी की अदम मोजुदगी में घास मवेशी डालकर नुकसान पहॅुचाते है व कांटो की बाड को हटाकर चुल्हा जला खाने के उपयोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण को कई बार मौके पर मौखिक उल्हाना दिया किन्तु एक दो दिन रूककर पुनः मवेशी को डाल देते है। और टालम टोल कर रहे है। उपरोक्त परिस्थियो में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। प्रतिवादीगण वादी के बीड खसरा नम्बर 96 ग्राम नाबरी मे उसके उपयोग उपभोग व किसी तरह का बाधा हस्तक्षेप, नुकसान, रूकावट व अतिक्रमण नही करें इसलिये स्थाई निषेधज्ञा आदेश जारी किया जावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प लाखागुडा** मे पेश हुआ पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा मौजा नाबरी के आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 14 विस्वा 05 विस्वांसी किस्म बाडा जो दर्ज है। जो जमाबन्दी में खसरा नम्बर 95 अंकित होकर 14 विस्वा 05 विस्वासी भुमि बाडा दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर 96 रकबा 14 विस्वा 05 विस्वांसी बाडा अंकित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द